उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–26/2022–23

सुबल यादव

बनाम्

सूर्य कुमार यादव

–: आदेश :–

दिनांक 1/11/22

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सुबल यादव, पे0–स्व0 चरण यादव, सा0–कदवा, थाना–देवडॉड़, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–628/सा0, दिनांक–24.09.2022 के द्वारा निर्गत किये आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सूर्य कुमार यादव ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोड्डा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि मौजा कदवा जमाबंदी सं0–03, दाग नं0–292 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत तालो महतो के नाम से दर्ज है एवं दाग नं0–135 की जमीन जमाबंदी रैयत अहलाद महतो के नाम से दर्ज है। यद्यपि जमाबंदी रैयत तालो महतो एवं अह्लाद महतो सहोदर भाई है। इसके बावजूद पर्चा के कैफियत कॉलम के दखल क्यारी में दोनों भाई का नाम अलग–अलग दर्ज है। लेकिन दाग नं0–292 की जमीन पर जमाबंदी रैयत अह्लाद महतो दखलकार है एवं दाग नं0–135 की जमीन पर तालो महतो दखलकार है। लेकिन तीन पीढ़ी बीत जाने के बाद जमाबंदी रैयत तालो महतो के वंशज दाग नं0–292 की जमीन पर विवाद खड़ा कर दिया। इसलिए उत्तरवादी के पिता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत्त मामला दर्ज कराया, जिसे बाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में परिवर्तित किया गया एवं उत्तरवादी के पिता के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इन्द्रजीत महतो एवं सुबल महतो की ओर से जिला न्यायाधीश, गोड्डा के समक्ष एक क्रिमिनल रिविजन वाद सं0–107/96 एवं 05/02 दायर किया गया, जिसे खारिज कर दिया गया था। एक माह पूर्व जब उत्तरवादी अपनी जमीन पर चहार दिवारी देने गये तो अपीलकर्त्तागण ने मजदूर एवं राजमिस्त्री को भगा

दिया एवं गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकी दी गयी। इसलिए उत्तरवादी के द्वारा पुलिस बल की मांग की गयी। उत्तरवादी के आवेदन पर अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं दोनों पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। उसमें उत्तरवादी की ओर से उक्त बदलैन से प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन उत्तरवादी के पास उक्त जमीन का बदलैन से सम्बंधित कोई भी वैद्य कागजात नहीं है। यद्यपि दोनों पक्ष एक ही जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशज है। लेकिन दाग नं0–292 एवं दाग नं0–135 की जमीन लगभग 20 वर्षो से परती पड़ा हुआ है। निम्न न्यायालय के द्वारा इस बिन्दु पर जाँच किये बिना ही ज्ञापांक–628/सा0, दिनांक–24.09.2022 के द्वारा आदेश दिया गया कि मौजा कदवा के जमाबंदी सं0–03 के अंदर दाग नं0–292 रकवा 00–07–02 धुर जमीन पर उत्तरवादी सूर्य कुमार यादव का दखल है एवं जमाबंदी सं0–02 के दाग नं0–135 रकवा 00–07–02 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता सुवल यादव वगैरह का दखल है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा मनमना आदेश पारित किया गया है। क्योंकि दाग नं0–292 की जमीन जमाबंदी रैयत तालो महतो के नाम से दर्ज है एवं अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत तालो महतो वैद्य उत्तराधिकारी है। उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के जमीन को हड़पने के नियत से निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था एवं निम्न न्यायालय के द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह स्वीकार तथ्य है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार से सम्बंधित है। उत्तरवादी का मामला यह है कि मौजा कदवा के जमाबंदी सं0–03, दाग नं0–292, रकवा 00–07–02 धुर जमीन दखल क्यारी में जमाबंदी रैयत तालो महतो के नाम से दर्ज है। जमाबंदी सं0–02, दाग नं0–135, रकवा–00–07–02 धुर जमीन जमाबंदी रैयत अहलाद महतो के नाम से दर्ज है। संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 के पारित होने के पूर्व पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार जमाबंदी रैयत अहलाद महतो एवं तालो महतो ने एक दूसरे के जमीन का ग्रामीण पंचनामा के द्वारा बदलनामा किया गया तथा तब से दाग नं0–292 की जमीन पर अहलाद महतो दखलकार हुए एवं दाग नं0–135 की

जमीन पर तालो महतो दखलकार हुए जिसे 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही में विधिवत रूप से प्रदर्श किया गया एवं तत्कालीन दण्डाधिकारी के द्वारा पाया गया कि दोनों पक्ष के जमीन का आपसी बदलनामा वर्ष 1949 के पूर्व किया गया है एवं विद्वान न्यायालय द्वारा पाया गया कि उत्तरवादी 30 आम का वृक्ष लगाया है। इस प्रकार विद्वान दण्डाधिकारी श्री डी0 अंसारी ने उत्तरवादी का दाग नं0–292 की जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा पाया है एवं दाग नं0–135 की जमीन पर अपीलकर्त्ता का दखल पाया। इसलिए अपीलकर्त्ता को उक्त दाग नं0–292 की जमीन पर जाने से रोक दिया गया। 145 द0प्र0सं0 के आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता की ओर जिला न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में रिविजन वाद दायर किया गया था, जो खारिज हो गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने भी स्थल जाँच में दाग नं0–292 की जमीन पर उत्तरवादी का दखल पाया है। चूँकि पूरा दाग नम्बर की जमीन चहारदिवारी से घेराबंदी किया हुआ है एवं गेट लगा हुआ है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता को उचित अवसर दिया था। लेकिन अपीलकर्त्ता ने कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने दोनों पक्ष के पंचनामा बदलनामा के अनुसार आदेश पारित किया है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कदवा नं0–537 जमाबंदी सं0–03 की जमीन जमाबंदी रैयत अहलाद महतो वो तालो महतो वो पांचू महतो पेसरान करमन महतो वो देवचन्द महतो वल्द टेकन महतो वो शादेव महतो वल्द लछु महतो के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है, जिसमें से दाग नं0–292 रकवा 00–07–02 धुर जमीन पर्चा के केफियत खाने के दखल कियारी में तालो महतो का नाम दर्ज है एवं मौजा कदवा जमाबंदी सं0–02, दाग नं0–135 रकवा 00–13–08 धुर जमीन जमाबंदी रैयत अहलाद महतो वल्द करमन महतो के नाम गत सर्वे पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा उक्त के जमाबंदी सं0–03 के दाग नं0–292 रकवा 00–07–02 धुर जमीन बदलनामा से प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं बदलनामा के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उभय पक्ष को अपने–अपने बदलनामा जमीन पर दखलकार रहने का आदेश दिया है। लेकिन उत्तरवादी की ओर से बदलनामा

से संबंधित कोई भी वैध कागजात दाखिल नहीं किया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 23 के तहत लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार बदलनामा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 23 के अनुरूप नहीं है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–628/सा0 दिनांक–24.09.2022 के द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को वापस किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा।

उपायुक्त, गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:- 82 दि०:- 23.11.23

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदा०, गोड्डा को उनके कार्यालय का ज्ञापांक- 628/सा०, दि०:-24.09.2022, सूर्य कुमार पाण्डेय, पे०- स्व० कैलाश पाण्डेय, सा०- कुन्डवा, थाना- [illegible], जिला- गोड्डा से संबंधित मूल अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नक:- यथोक्त

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:36:00 +05:30
Location: 192.168.1.37